



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail- eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक.....6140 / 1 सी

दिनांक....15/12/2017

सेवा मे.

अधीक्षण अभियन्ता,
 9 वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
 देहरादून।

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सङ्क सुरक्षा समिति द्वारा दिनांक 27.02.2017 को दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० देहरादून का पत्रांक 952/76 याता०-“क”/2017 दिनांक 01.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के कार्यक्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मार्गों पर विनिहित दुर्घटना समावित क्षेत्रों के सुधार हेतु आख्या निम्न प्रकार है।

1. श्यामपुर पुलिस चौकी गुमानीवाला-नटराज चौक ऋषिकेश मार्ग (एम०डी०आर०-१०)

क्र०सं०	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	रथल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है।
1	2	3	4
1	श्यामपुर तिराहा / पुलिस चौकी।	आबादी क्षेत्र एवं तिराहा है। तिराहा से ऊपर की ओर खीड़ ब्रेकर बना है लेकिन संकेतक तथा पेन्ट न होने के कारण दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील है।	उक्त कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 20/12/2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
2	रेलवे क्रासिंग	मार्ग संकरा एवं गड्ढे है। संकेतक भी नहीं लगे हैं। मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना एवं संकेतक आवश्यक है।	रेलवे के फाटक की वजह से मार्ग संकरा है। संकेतक लगाया जा रहा है।
3	डीएसवी रस्कूल तथा अगापे भिशन रस्कूल	जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए। रस्कूल संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	उक्त कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 20/12/2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
4	मंशादेवी तिराहा	गतिसीमा का बोर्ड होना चाहिए। जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए।	
5	खाण्ड गाँव (विरस्थापित)	मार्ग पर ब्रेकर है लेकिन संकेतक एवं पेन्ट न होने के कारण दुपहिया वाहनों के दुर्घटना की सम्भावना रहती है।	
6	स०सं०प० कार्यालय	दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, गतिसीमा के बोर्ड लगावाना व रिफ्लेक्टर होना चाहिए।	
7	तहसील चौक	चौराहा होने के कारण ब्रेकर, जेब्रा क्रासिंग होना व गति सीमा के संकेतक बोर्ड होना आवश्यक है।	
8	नटराज चौक	आबादी क्षेत्र एवं निर्वाध गति से चारों ओर से यातायात संचालित होता है। गतिसीमा का साईन बोर्ड जेब्रा क्रासिंग एवं रोड ब्रेकर होना आवश्यक है।	

क्रमशः....2

2. नटराज चौक रानीपोखरी-भानियावाला मार्ग (एस0एच0-24)

क्र0सं0	दुर्घटना सम्भावित मुख्य रथल	रथल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है।
1	2	3	4
1	नटराज चौक	चौराहा होने के कारण वाहनों एवं पैदल यात्रियों का आवागमन बना रहता है। स्पीड ब्रेकर नहीं है। जेब्रा क्रासिंग व स्पीड लिमिट के साईन बोर्ड लगाना आवश्यक है।	उक्त कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 20/12/2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
2	सात मोड़	घुमावदार व संकरी सड़क है। अति सवेदनशील एवं हाथी बाहुत्य क्षेत्र होने के कारण उन विभाग से वाहन धीरे चलाये के बोर्ड अथवा गतिसीमा के बोर्ड व रिफ्लेक्टर लगाये जाने अति आवश्यक है।	गति सीमा बोर्ड एवं रिफ्लेक्टर कुछ स्थानों पर लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 20/12/2017 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
3	डाढ़ी-भोगपुर तिराहा	तीव्र ढाल व मोड़ है। गति सीमा सूचक बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
4	डाढ़ी विद्या मन्दिर	पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है तथा तीव्र ढाल होने के कारण अतिसंयेदनशील है। रिफ्लेक्टर एवं गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	मार्ग पर दो लेन से चार लेन में परिवर्तित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत चिह्नित रथलों पर कार्य पूर्ण परन्तु रिफ्लेक्टर एवं गति सीमा बोर्ड लगाने का कार्य दिनांक 22/12/2017 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।
5	रानीपोखरी चौराहा	मार्ग संकरा है। बाजार होने के कारण मार्ग अतिक्रमण है। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।	
6	एयरपोर्ट तिराहा।	एयरपोर्ट से मुख्य मार्ग पर आने के लिए स्पीड ब्रेकर तथा गतिसीमा बोर्ड होना आवश्यक है। तिराहा से 100 मीटर आगे जाखन नदी पुल संकरा है। रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है।	
7	पुलिस चौकी जौलीग्रान्ट	सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर लगाये जाने हैं। पुलिस चौकी संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	
8	हिमालयन हॉस्पिटल तिराहा	मार्ग चौड़ीकरण व डिवाईडर का कार्य निर्माणाधीन है। गतिसीमा एवं हॉस्पिटल के बोर्ड लगाया जाना है।	
9	भानियावाला तिराहा	मार्ग टूटा-फूटा एवं गड़ायुक्त है। मार्ग का समतलीकरण किया जाना चाहिए। रिफ्लेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	भानियावाला तिराहा राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है। इस खण्ड के अन्तर्गत का भाग ठीक करा दिया गया है।

पत्रोंक 6140

1. प्रतिलिपि - *प्रमुख अभियन्ता* एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-। लो०नि०वि० देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहाय्यक अभियन्ता प्रथम/तृतीय को उपरोक्त के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत आगणन 3 तीन के अन्दर गठित कर खण्डीय कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०*

ऋषिकेश

दिनांक 15/12/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

ऋषिकेश